



प्राविधिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश

Directorate of Technical Education Uttar Pradesh

विकास नगर, कानपुर-208002

Vikas Nagar, Kanpur-208002

वेबसाइट/website : <http://upted.gov.in/directorate>

दूरभाष/Phone: 2582084 • फैक्स/Fax: 2580965 • ई-मेल/email:directordteup@gmail.com

प्रेषक,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त प्रधानाचार्य,
राजकीय / अनुदानित पालीटेक्निक संस्थान,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: ३१-१९८ / जे०-१०९-प्रशा०-बी.टी.ई.(शुल्क निर्धारण) कानपुर: दि०२०११।।। 2021

विषय: संस्थान की वेबसाइट पर प्रवेश एवं फीस नियमन समिति द्वारा निर्धारित शुल्क की सूचना प्रदर्शित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि संस्थान की अधिकृत वेबसाइट पर उत्तर प्रदेश शासन की प्रवेश एवं फीस नियमन समिति द्वारा निर्धारित शुल्क की सूचना पाठ्यक्रमवार संस्थान की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना आवश्यक है। संज्ञान में आया है कि कठिपय संस्थाओं द्वारा उक्त सूचना संस्थान की वेबसाइट पर प्रदर्शित नहीं की जाती हैं जो कदापि उचित नहीं है।

मा० मंत्री जी, प्राविधिक शिक्षा विभाग उ०प्र० सरकार के द्वारा अपेक्षा की गयी है कि समस्त संस्थाओं द्वारा प्रवेश एवं फीस नियमन समिति द्वारा निर्धारित शुल्क की सूचना पाठ्यक्रमवार संस्थान की वेबसाइट पर प्रदर्शित करें। उक्त आदेशों के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रवेश एवं फीस नियमन समिति द्वारा निर्धारित शुल्क की सूचना संस्थान की अधिकृत वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना सुनिश्चित करें। यदि किसी छात्र/छात्रा को शुल्क संबंधी कोई शिकायत हो तो विभागीय यूराइज-पोर्टल/वेबसाइट-<https://urise.up.gov.in> पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

मवदीय,

(मनोज कुमार)
निदेशक।

पृ०सं०: १९१-१९८ / जे०-१०९-प्रशा०-बी.टी.ई.(शुल्क निर्धारण) तददिनांक: २४।।। 2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— निजी सचिव, मा० मंत्री जी, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ०प्र०, विधान भवन, लखनऊ।
- 2— निजी सचिव, प्रगुण सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 3— विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, प्राविधिक शिक्षा विभाग, लखनऊ।
- 4— सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०, लखनऊ को निजी क्षेत्र की समस्त संस्थाओं को स्वयं के स्तर से निर्देशित किये जाने हेतु।
- 2— समस्त क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, मध्यक्षेत्र/पूर्वीक्षेत्र/पश्चिमीक्षेत्र/बुन्देलखण्ड क्षेत्र, को इस निर्देश से कि उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन स्वयं के स्तर से सुनिश्चित कराये जाने हेतु।

(मनोज कुमार)

निदेशक।